[2020] 8 एस.सी.आर. 741

गुरचरण सिंह

बनाम

पंजाब राज्य

(आपराधिक अपील सं0 40/2011) अक्टूबर 01, 2020

[माननीय एन 0 वी0 रमना न्यायमूर्ति, माननीय सूर्य कांत न्यायमूर्ति और माननीय हृषीकेश रॉय न्यायमूर्ति]

दंड संहिता, 1860–धारा 306, 107–दो नाबालिग बच्चों के साथ एक विवाहित महिला ने आत्महत्या कर ली–विचारण न्यायालय ने महिला के पति–अपीलकर्ता को धारा 306 आईपीसी के तहत दोषी ठहराया और उसे 4 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई–उच्च न्यायालय द्वारा सजा अन्तर्गत धारा 306 आईपीसी को बरकरार रखा गया था–अपील पर अवधारित किया गया: प्रस्तुत मामले में, पति या ससुराल वालों के खिलाफ क्रूरता का कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है–यह दिखाने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं है कि मृतक की कौन सी विशेष आशा या उम्मीद थी जिससे पति से निराश थी–अपीलकर्ता की जानबूझकर की गई उपेक्षा के साक्ष्य का भी अभाव है, जिसके कारण आत्महत्या हुई–दुष्प्रेरण के अपराध को साबित करने के लिए, जैसा कि धारा 107 आईपीसी के तहत निर्दिष्ट है, एक विशेष अपराध को करने के लिए मन की स्थिति दिखाई देनी चाहिए, दोषिता का निर्धारण करने के लिए–आपराधिक मन:स्थिति के घटक को स्पष्ट रूप से मौजूद नहीं माना जा सकता है, लेकिन दृश्यमान और विशिष्ट होना चाहिए–दोनों विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय ने कभी इसकी जांच नहीं की कि क्या अपीलकर्ता–पति के पास उस अपराध को करने के लिए आपराधिक मन:स्थिति थी या नहीं, जिससे वह आरोपित है–इस कथानक पर दोनों न्यायालयों द्वारा दोषसिद्धि कि दो छोटे बच्चों वाली महिला ने सम्भवतः वैवाहिक घर में उत्पीड़न के कारण आत्महत्या कर ली है, मामले में साक्ष्यों द्वारा पुष्टि नहीं होती है–अभियोजन साक्षियों की गवाही यह नहीं दिखाती है कि अपीलकर्ता की वजह से पत्नी दुखी थी और उसे उसके कारण ऐसा कदम उठाने के लिए मजबूर होना पड़ा–विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय ने अप्राकृतिक मृत्यु पर अनुमान लगाया और बिना किसी सबूत के निष्कर्ष निकाला, कि अपीलकर्ता अपनी पत्नी की आत्महत्या को उकसाने का दोषी है–इसलिए, आक्षेपित निर्णय को कानूनी रूप से बरकरार नहीं रखा जा सकता–परिणामस्वरूप, आईपीसी की धारा 306 के तहत अपीलकर्ता की दोषसिद्धि को खारिज किया जाता है

अपील की अनुमति देते हुए, न्यायालय द्वारा अवधारित:

1. जहाँ तक दो नाबालिग बच्चों वाली एक युवा विवाहित महिला के आत्महत्या करने के संभावित कारण का सवाल है, सबूतों के अभाव में, यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता है कि वैवाहिक घर की परिस्थितियों और माहौल ने उसे अपनी जान लेने के लिए मजबूर किया था। अपने पति और ससुराल वालों से मृतक की अपेक्षा का स्तर क्या हो सकता है और उसकी हताशा की डिग्री, यदि कोई हो, रिकॉर्ड पर किसी भी सबूत के माध्यम से नहीं पाया गया है। अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि अभियोजन द्वारा, पति द्वारा जानबूझकर की गई लापरवाही को दर्शित नहीं किया जा सका।
[पैरा11][747–ई–एफ]

2. सभी अपराधों की तरह, आपराधिक मनः स्थिति स्थापित की जानी चाहिए। उकसावे के अपराध को साबित करने के लिए, जैसा कि आईपीसी की धारा 107 के तहत निर्दिष्ट है, किसी विशेष अपराध को करने के लिए मन की स्थिति दिखाई देनी चाहिए, ताकि दोषिता को निर्धारित किया जा सके। आपराधिक मन:स्थिति को साबित करने के लिए, यह स्थापित करने या दिखाने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ होना चाहिए कि अपीलकर्ता के पास एक दोषी मस्तिष्क था और उसने मन की उस स्थिति को आगे बढ़ाते हुए, मृतका को आत्महत्या के लिए उकसाया। आपराधिक मन:स्थिति के घटक को स्पष्ट रूप से मौजूद नहीं माना जा सकता है, लेकिन इसे दृश्यमान और विशिष्ट होना चाहिए। हालाँकि, प्रस्तुत मामले में जो हुआ वह यह है कि दोनों विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय ने कभी भी इस बात की जांच नहीं की कि क्या अपीलकर्ता के पास अपराध के लिए आपराधिक मन:स्थिति थी, जिसे उसने किया है। विचारण न्यायालय के साथ–साथ उच्च न्यायालय द्वारा अपीलकर्ता को इस कथानक पर दोषी ठहराये जाने पर कि दो छोटे बच्चों वाली महिला ने सम्भवतः वैवाहिक घर में उत्पीड़न का

सामना करने के कारण आत्महत्या की होगी, सबूतों द्वारा साबित नहीं है। अभियोजन साक्षियों की गवाही से यह पता नहीं चलता है कि अपीलकर्ता के कारण पत्नी दुखी थी और वह उसके कारण ऐसा कदम उठाने के लिए मजबूर थी। [पैरा15][748–सी–एफ]

3. कानून की उपरोक्त समझ के साथ आगे बढ़ते हुए और प्रस्तुत मामले में तथ्यों को तर्कसंगत रूप से लागू करते हुए, जो स्पष्ट है वह यह है कि मृतक पत्नी की उचित देखभाल करने में अपीलकर्ता की ओर से कोई प्रत्यक्ष कार्य या अवैध चूक नहीं देखी गई, सबूत यह भी संकेत नहीं देते हैं कि मृतका को अपने पति से लगातार उत्पीड़न का सामना करना पड़ा था। इस आशय का कुछ भी माता–पिता या किसी अन्य अभियोजन पक्ष के गवाहों द्वारा गवाही नहीं दी गई है। विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय ने अप्राकृतिक मृत्यु और बिना किसी सबूत के केवल अनुमानों के माध्यम से निष्कर्ष निकाला गया कि अपीलकर्ता अपनी पत्नी को आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित का दोषी है। [पैरा19][750–सी–डी]

एसएस छेना बनाम विजय कुमार महाजन (2010) 12 एससीसी 190: [2010] 9 एससीआर 1111;

अमलेंदु पाल उर्फ झंटू बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (2010) 1 एससीसी 707: [2009] 15 एससीआर 836;

मंगत राम बनाम हरियाणा राज्य (2014)12 एससीसी 595: [2014] 4 एससीआर 988–पर निर्भर।

केस लॉ संदर्भ [2010] 9 एससीआर 1111 पैरा 16 पर निर्भर [2009] 15 एससीआर 836 पैरा 17 पर निर्भर [2014] 4 एससीआर 988 पैरा 18 पर निर्भर

क्रिमिनल अपीलीय क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील संख्या 40/2011

आपराधिक अपील संख्या 408–एसबी/1999 में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, चंडीगढ़ के निर्णय और आदेश दिनांक 04.03.2010 के विरूद्ध।

आर.के कपूर, शोएब अहमद खान, अनीस अहमद खान, सुश्री जसप्रीत गोगिया, करणवीर गोगिया, सलाहकार। उपस्थित पक्षों के लिए।

न्यायालय का निर्णय माननीय हृषीकेश रॉय,न्यायमूर्ति द्वारा सुनाया गया।

1. यह अपील पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के दिनांक 04.03.2010 के निर्णय और आदेश को चुनौती देती है, जिसके तहत दोषी अपीलकर्ता की आपराधिक अपील सं0 408–एसबी 1999 को खारिज कर दिया गया था और भारतीय दंड संहिता, 1860 (संक्षेप में "आईपीसी") की धारा 306 के तहत सजा का फैसला सुनाया गया था तथा 4 साल के सश्रम कारावास की सजा और 5000/– रुपये का जुर्माना, विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, बरनाला द्वारा लगाए गए थे।

2. अपीलकर्ता और उसके माता–पिता पर आईपीसी की धारा 34 के साथ सपठित धारा 304 बी और 498 ए के तहत आरोप लगाए गए थे। विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलकर्ता के माता–पिता दुल्ला सिंह और करनैल कौर को बरी करने का आदेश दिया। हालांकि, यह घोषणा करते हुए भी कि धारा 304 बी और 498 ए आईपीसी के तहत किसी को भी दोषी ठहराने के लिए अपर्याप्त सामग्री है, विचारण न्यायालय ने राय दी कि यद्यपि पति गुरूचरन सिंह के खिलाफ उकसाने का कोई आरोप विरचन नहीं किया गया था, उसे आईपीसी की धारा 306 के तहत अपनी पत्नी की आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करने के लिए दोषसिद्ध की जा सकती है।

3. एफआईआर नंबर 177 दिनांक 13.08.1997 के पंजीकरण के साथ आपराधिक प्रक्रिया थाना कोतवाली, बरनाला, अंतर्गत धारा 304 बी/34 आईपीसी के तहत और धारा 498 ए आईपीसी के तहत शुरू की गई थी। मामला शिंदर कौर (मृतक) के पिता जेल सिंह द्वारा दिए गए बयान के आधार पर दर्ज किया गया था। अपीलकर्ता की शादी शिंदर कौर से हुई थी और उनका एक बेटा (2 वर्ष) और एक बेटी (8/9 महीने) थी, जब माँ ने 12.08.1997 को आत्महत्या कर ली थी। अभियोजन पक्ष के अनुसार, शिंदर कौर को शादी के बाद अपर्याप्त दहेज के लिए परेशान किया गया था। घटना के कुछ दिन पहले, शिंदर कौर को पीटा गया था और प्लॉट खरीदने के लिए अपने माता–पिता से 20000/– लाने के लिए अभियुक्तगण ने उसे अपने वैवाहिक घर से बाहर कर दिया था। तब शिकायतकर्ता ने अपनी बेटी को अभियुक्त के साथ यह कहकर उसके वैवाहिक घर वापस भेज दिया था कि वह उनकी नकदी की मांग को पूरा करने में असमर्थ है। दिनांक 13.08.1997 को, पिता को एक संदेश मिला कि शिंदर कौर की मृत्यु उसके वैवाहिक घर में हो गई है। यह सुनकर शिकायतकर्ता जेल सिंह अपनी

पत्नी सुरजीत कौर और चंद सिंह (सुरजीत कौर का भाई) के साथ, बरनाला पहुंचे और वैवाहिक घर में शिंदर कौर के शव को देखा, जिसकी शाम लगभग 5 बजे दिनांक 12.08.1997 को मृत्यु हो गई थी। चूंकि, यह एक अप्राकृतिक मृत्यु थी, शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि या तो आरोपी ने उसकी बेटी को कोई जहरीला पदार्थ देकर मार डाला या अभियुक्त के उत्पीड़न के कारण उसने इस तरह के पदार्थ को खा लिया था।

4. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि मौत एल्यूमीनियम फॉस्फाइड के सेवन से हुई थी, मृतका के पति और सास–ससुर पर आरोप लगाए गए थे और दिनांक 28.10.1997 को मामला दर्ज होने के बाद, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, बरनाला के न्यायालय के समक्ष मुकदमा शुरू हुआ।

5. जेल सिंह (पीडब्लू 2), चंद सिंह (पीडब्लू 3) और सुरजीत कौर (पीडब्लू 4) के साक्ष्य को स्वीकार करते हुए, जो क्रमशः मृतक के पिता, मामा और मां थे, अदालत ने यह निर्धारित करने के लिए कार्यवाही की कि क्या अप्राकृतिक मृत्यु दहेज की मांग का परिणाम था। गवाहों ने गवाही दी कि अभियुक्तों द्वारा मृतक के परिवार से 20,000/–रूपये की मांग की गई थी क्योंकि वे एक भूखंड खरीदना चाहते थे और चूंकि यह मांग पूरी नहीं हो सकी, इसलिए शिंदर कौर ने आत्महत्या कर ली। मृतका के पिता पीडब्लू 2 के साक्ष्य से पता चलता है कि 20,000/– का "नकद ऋण" मांगा गया था। यह भी साक्ष्य से देखा जा सकता है कि अपीलकर्ता गुरचरण सिंह अपने माता–पिता का इकलौता बेटा है और वे एक सब्जी के बगीचे वाले बड़े घर के मालिक हैं। अपीलकर्ता और उसके पिता पंजाब पुलिस में ड्राइवर थे। प्रासंगिकता यह भी है कि प्रसव के समय, मृतक को नवंबर 1996 में 10/12 दिनों के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था और उसके पति और ससुर द्वारा उसके चिकित्सा उपचार की व्यवस्था की गई थी। दहेज की मांग या मृतक के दुर्व्यवहार से संबंधित किसी भी विवाद का कोई सबूत शादी के तीन साल के भीतर नहीं देखा गया। इस आधार पर,विचारण न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि भले ही 20,000/– रूपये शादी के तीन साल बाद भूखंड खरीदने के लिए कहा गया था और कुछ दिनों बाद अप्राकृतिक मृत्यु हो जाती है, मृत्यु दहेज की मांग से संबंधित नहीं हो सकती है।

6. विचारण न्यायालय द्वारा तब यह प्रश्न उठाया गया कि दो छोटे बच्चों वाली एक युवती तब तक आत्महत्या क्यों करेगी जब तक कि उसे वैवाहिक घर की परिस्थितियों ने ऐसा करने के लिए मजबूर नहीं किया हो। यह भी अवधारित किया गया कि एक विवाहित महिला की अपेक्षा उसके पति के हाथों प्यार और स्नेह और वित्तीय सुरक्षा होगी और यदि उसकी उम्मीदें पति के कृत्य या जानबूझकर लापरवाही से कुंठित होती हैं, तो यह धारा 107 आईपीसी, के अर्थ में दुष्प्रेरण माना जाएगा। धारा 306 आईपीसी के तहत दोषसिद्ध करते हुए, इस तर्क के साथ, विचारण न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि शिंदर कौर ने तब आत्महत्या की जब उसकी उम्मीदें उसके पति के कृत्य या वैकल्पिक रूप से, उसकी जानबूझ कर उपेक्षा से निराश हो गई। इस प्रकार, अपीलकर्ता को जिम्मेदार ठहराए जाने वाले कार्य की प्रकृति पर न्यायालय स्वयं अनिश्चित था। इसके अलावा, यह देखते हुए भी कि पति और ससुराल वालों के खिलाफ क्रूरता का कोई प्रत्यक्ष प्रमाण उपलब्ध नहीं है, विद्वान अदालत ने माना कि अपीलकर्ता के खिलाफ धारा 306 आईपीसी लागू की जा सकती है। ऐसे अनुमान के साथ, आईपीसी की धारा 304 बी और 498 ए के तहत आरोपित अपराध से तीनों आरोपियों को बरी करते हुए, पति को धारा 306 आईपीसी के तहत दोषी ठहराया गया था।

7. परिणामस्वरूप दायर आपराधिक अपील में, अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि दोषसिद्धि को तब तक उचित नहीं ठहराया जा सकता जब तक कि सबूतों से आरोपी के कुछ सकारात्मक कृत्य या आचरण का खुलासा न हो, जिसने मृतक को आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया हो। अपने पति के साथ मृतका के सौहार्दपूर्ण संबंध की दलील पर, अपीलीय न्यायाधीश ने अनुमान लगाया कि यदि ऐसी स्थिति होती, तो मृतका के परिवार के सदस्यों (पीडब्लू 2, पीडब्लू 3, पीडब्लू 4) ने पति के खिलाफ गवाही नहीं दी होती। इस सुझाव को कि मृतका ने गलती से सब्जी के बगीचे के लिए रखे गए जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया था, विद्वान न्यायाधीश द्वारा खारिज कर दिया गया। तदनुसार, उच्च न्यायालय ने विचारण न्यायालय के इस दृष्टिकोण का समर्थन किया कि मृतका को परिस्थितियों और वैवाहिक वातावरण ने आत्महत्या करने के लिए प्रेरित किया था। आक्षेपित निर्णय के आधार पर अपील को खारिज कर दिया गया जिसके परिणामस्वरूप वर्तमान अपील की गई।

8. अपीलकर्ता के लिए, विद्वान अधिवक्ता श्री आर के कपूर ने विचारण न्यायालय के निष्कर्षों पर ध्यान केंद्रित किया कि पति या सास–ससुर द्वारा मृतका के प्रति क्रूरता का कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है। यह अभिकथित किया गया कि इस निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए कुछ भी नहीं था कि पति ने जानबूझकर अपनी पत्नी की उपेक्षा की थी या उसे निराश किया था, जिससे मामले को उकसाने के दायरे में लाया जा सके। अधिवक्ता का तर्क है कि अदालत का निष्कर्ष पूरी तरह से अनुमानों पर आधारित है, न कि किसी ठोस सबूत पर। चूंकि दहेज उत्पीड़न के कोई सबूत नहीं हैं और 20000/–रूपये की मांग को आत्महत्या के कारण के रूप में खारिज कर दिया गया था, विद्वान अधिवक्ता ने अभिकथन किया कि दोनों न्यायालयों ने यह निष्कर्ष निकालने में गलती की है कि अपीलकर्ता द्वारा बनाई गई परिस्थितियों या माहौल के कारण मृतका को आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया

गया था। अपने पति और ससुराल वालों द्वारा मृतका की देखभाल और ध्यान के विपरीत साक्ष्य को अपीलकर्ता के अधिवक्ता ने यह तर्क देते हुए विशिष्ट रूप से दर्शाया गया कि वैवाहिक घर में, मृतका के साथ अच्छा व्यवहार किया जाता था। किसी भी मामले में, एक पति से अपेक्षित प्यार और स्नेह की डिग्री को उकसाने की सजा को आधार पर नहीं मापा जा सकता है। तदनुसार, यह तर्क दिया गया कि अपीलकर्ता द्वारा कथित रूप से वैवाहिक घर में परिस्थितियों को खराब करने के लिए किसी सबूत के बिना बनाया गया अनुमान, एक अनुमान के अलावा और कुछ भी नहीं है और केवल इस आधार पर दोषसिद्धि कायम नहीं की जा सकती है। अधिवक्ता ने तर्क दिया कि मृतका से पैदा हुए दोनों बच्चे अपीलकर्ता के साथ रहते हैं और इससे यह भी संकेत मिलता है कि अपीलकर्ता एक देखभाल करने वाला और जिम्मेदार व्यक्ति है। अधिवक्ता ने आगे कहा कि अपीलकर्ता पहले से ही लगभग दो साल की सजा काट चुका है।

9. दूसरी तरफ, पंजाब राज्य के लिए विद्वान वकील, सुश्री जसप्रीत गोगिया ने मृतक के माता–पिता जेल सिंह (पीडब्लू 2) और सुरजीत कौर (पीडब्लू 4) के साक्ष्य का हवाला दिया, जिन्होंने कहा था कि घटना से एक सप्ताह पहले, मृतका को पीटा गया था और एक भूखंड की खरीद के लिए नकदी लाने के लिए उसके माता–पिता के घर भेजा गया था। चूंकि माता–पिता मांग की गई राशि का भुगतान करने में असमर्थ थे, इसलिए मृतक को उसी दिन उसके वैवाहिक घर में आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया गया था, जब उसके पिता उसे वापस छोड़ गये थे। फिर विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि अगर वैवाहिक घर में परिस्थितियों या माहौल के लिए नहीं, तो किस कारण से दो बच्चों की एक युवा मां को जहरीले पदार्थ का सेवन करके आत्महत्या करेगी।

10. विद्वान अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया गया। धारा 107 गुरचरन सिंह बनाम पंजाब राज्य के तहत दुष्प्रेरण का निष्कर्ष देने के लिए

[माननीय हृषीकेश रॉय, न्यायमूर्ति]

आईपीसी, अभियुक्त को किसी व्यक्ति को चूक या कार्य द्वारा उकसाना चाहिए और उसके बाद ही, दुष्प्रेरण का मामला बनता है। हालांकि, वर्तमान मामले में, पति या ससुराल वालों के खिलाफ क्रूरता का कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है। यह दिखाने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं है कि पति ने मृतका की कौन सी विशेष आशा या अपेक्षा को विफल कर दिया था। अपीलकर्ता की जानबूझकर उपेक्षा के साक्ष्य का भी अभाव है, जिसके कारण आत्महत्या हुई। जबकि इसके विपरीत साक्ष्य यह सुझाव देने के लिए उपलब्ध है कि मृतका को वैवाहिक घर और अस्पताल में देखभाल और उपचार दिया गया था, और शादी के तीन वर्षों के दौरान, दहेज की मांग के कारण दुर्व्यवहार का कोई उदाहरण नहीं था। 20, 000/–रुपये की मांग, शादी के तीन साल बाद, एक भूखंड की खरीद के लिए (निवास के सामने जो संयोगवश उस समय बिक्री के लिए उपलब्ध हो सकता था) को विचारण न्यायालय ने आत्महत्या की मौत के संभावित कारण के रूप में खारिज कर दिया गया था। किसी भी मामले में, पीडब्लू 2 ने कहा कि यह राशि भूखंड खरीदने के लिए मांगी गई "नगद ऋण" थी। इस प्रकार, अभियुक्त द्वारा ऋण मांगा गया होगा जो नहीं दिया जा सका। लेकिन यह दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है कि मृतका को वैवाहिक घर में इस संबंध में परेशान किया गया था। ऐसे तथ्यों के सामने, यह निष्कर्ष निकालना मुश्किल है कि अपीलकर्ता द्वारा बनाई गई परिस्थितियों या माहौल के कारण शिंदर कौर को आत्महत्या के लिए प्रेरित किया गया था।

11. जहाँ तक दो नाबालिग बच्चों वाली एक युवा विवाहित महिला के आत्महत्या करने के संभावित कारण का सवाल है, सबूतों के अभाव में, अनुमान नहीं लगाया जा सकता है कि उसे वैवाहिक घर में परिस्थितियों और माहौल ने उसकी जान लेने के लिए मजबूर किया गया था। अपने पति और ससुराल वालों से मृतका की अपेक्षा का स्तर क्या हो सकता है और उसकी हताशा की डिग्री, यदि कोई हो, रिकॉर्ड पर किसी भी सबूत के माध्यम से नहीं पाया जाता है। अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि अभियोजन पक्ष द्वारा पति द्वारा जानबूझकर की गई लापरवाही प्रदर्शित नहीं की जा सकी है।

12. यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि दिनांक 12.08.1997 को मां की मृत्यु के बाद से मृतक से पैदा हुए दोनों बच्चों का पालन–पोषण अपीलकर्ता के परिवार द्वारा किया जा रहा है। आरोपियों के खिलाफ उंगली उठाते हुए भी नाना–नानी ने कभी भी अपने नाती–नातिन के पालन–पोषण का उस घर में होने जहाँ उनकी बेटी की अप्राकृतिक मृत्यु हुई थी, का कोई मुद्दा नहीं उठाया।

13. धारा 107 आईपीसी "दुष्प्रेरण" को परिभाषित करती है और इस मामले में,निम्नलिखित भाग पर विचार किया जाएगाः –

"107. किसी बात का दुष्प्रेरण–वह व्यक्ति किसी बात के किये जाने का दुष्प्रेरण करता है, जो–

पहला– उस बात को करने के लिए किसी व्यक्ति को उकसाता है; अथवा

दूसरा– उस बात को करने के लिए किसी षड्यन्त्र में एक या अधिक अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के साथ सम्मिलित होता है, यदि उस षड्यन्त्र के अनुसरण में, और उस बात को करने के उद्देश्य से, कोई कार्य या अवैध लोप घटित हो जाए; अथवा

तीसरा–उस बात के लिए किए जाने में किसी कार्य या अवैध लोप द्वारा साशय सहायता करता है।

14. ऊपर उद्धृत परिभाषा यह स्पष्ट करती है कि जब भी कोई व्यक्ति किसी कार्य या अवैध चूक के लिए उकसाता है या जानबूझकर सहायता करता है, तो यह कहा जा सकता है कि उस व्यक्ति ने उस कार्य को करने के लिए उकसाया है।

15. सभी अपराधों की तरह, आपराधिक मनःस्थिति साबित होनी चाहिए। दुष्प्रेरण के अपराध को साबित करने के लिए, जैसा कि आईपीसी की धारा 107 के तहत निर्दिष्ट है, किसी विशेष अपराध को करने के लिए मनःस्थिति दिखाई देनी चाहिए, ताकि दोष को निर्धारित किया जा सके। आपराधिक मनःस्थिति को साबित करने के लिए, यह स्थापित करने या दिखाने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ होना चाहिए कि अपीलकर्ता के पास एक दोषपूर्ण मष्तिष्क था और उस मनःस्थिति को आगे बढ़ाते हुए, उसने मृतका को आत्महत्या के लिए उकसाया। आपराधिक मनःस्थिति के घटक को स्पष्ट रूप से मौजूद नहीं माना जा सकता है, उसे दृश्यमान और विशिष्ट होना चाहिए। हालाँकि, वर्तमान मामले में जो घटित हुआ वह यह है कि विचारण न्यायालय के साथ–साथ उच्च न्यायालय ने कभी भी इस बात की जांच नहीं की कि क्या अपीलकर्ता के पास अपराध को करने के लिए मन की मंशा थी, जिसे उसके द्वारा किया माना जाता है। विचारण न्यायालय के साथ–साथ उच्च न्यायालय द्वारा अपीलकर्ता को इस सिद्धांत पर दोषी ठहराना कि दो छोटे बच्चों वाली महिला ने संभवतः वैवाहिक घर में उसके साथ हुई प्रताड़ना के कारण आत्महत्या की होगी, साक्ष्यों से साबित नहीं हुआ है। मामले में पीडब्लू की गवाही यह नहीं दिखाती है कि अपीलकर्ता के कारण पत्नी दुखी थी और उसे आत्महत्या का कदम उठाने के लिए मजबूर किया गया था।

16. एसएस छेना बनाम विजय कुमार महाजन के मामले में आईपीसी की धारा 306 के तहत अपराध के लिए आवश्यक तत्वों पर विचार किया गया था। 'जहां दुष्प्रेरण की अवधारणा को समझाते हुए, माननीय न्यायमूर्ति दलवीर भंडारी ने लिखाः–

"25. दुष्प्रेरण में किसी व्यक्ति को उकसाने की एक मानसिक प्रक्रिया शामिल होती है या किसी कार्य को करने में जानबूझकर किसी व्यक्ति की सहायता करना। बिना एक आत्महत्या के लिए उकसाने या सहायता करने के लिए अभियुक्त की ओर से सकारात्मक कार्य,दोषसिद्धि को कायम नहीं रखा जा सकता है। विधायिका के आशय और इस न्यायालय द्वारा तय किए गए मामलों की व्याख्या से स्पष्ट है कि आईपीसी धारा 306 के तहत किसी व्यक्ति को दोषी ठहराने के लिए अपराध करने के लिए एक स्पष्ट मंशा होना चाहिए। इसके लिए एक सक्रिय कार्य या प्रत्यक्ष कार्य की भी आवश्यकता होती है जिसके कारण मृतक ने कोई विकल्प न देखकर आत्महत्या कर ली और उस कार्य का उद्देश्य मृतक को ऐसी स्थिति में धकेलना रहा हो कि उसने आत्महत्या कर ली।"

17. अमलेंदु पाल उर्फ झंटू बनाम पश्चिम बंगाल राज्य के मामले में, माननीय डॉ. एम. के. शर्मा, न्यायमूर्ति ने खंडपीठ के लिए लिखते हुए निम्नलिखित शब्दों में धारा 306 आईपीसी के मापदंडों को समझायाः

"12. इस प्रकार, इस न्यायालय ने लगातार यह विचार किया है कि किसी आरोपी को आईपीसी की धारा 306 के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराने से पहले, न्यायालय को मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों की जांच करनी चाहिए और यह पता लगाने के लिए उसके सामने पेश किये गये साक्ष्यों का भी आकलन करना चाहिए। कि क्या पीड़िता के साथ कोई क्रूरता और उत्पीड़न के कारण, पीड़िता के पास अपने जीवन को समाप्त करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं बचा था। यह भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि कथित आत्महत्या के लिए उकसाने के मामलों में आत्महत्या के लिए उकसाने के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कृत्यों का साक्ष्य होना चाहिए। केवल उत्पीड़न के आरोप पर, घटना के समय आरोपी की ओर से कोई सकारात्मक कृत्य किये बिना, जिसने व्यक्ति को आत्महत्या के लिए मजबूर किया, आईपीसी की धारा 306 के संदर्भ में दोषसिद्धि पोषणीय नहीं है।

13. आईपीसी की धारा 306 के दायरे में मामला लाने के लिए आत्महत्या का मामला होना चाहिए और उस अपराध को किये जाने में, वह व्यक्ति वह व्यक्ति जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने दुष्प्रेरण किया है आत्महत्या के लिए उकसाने के कार्य द्वारा या आत्महत्या के कार्य को सुविधाजनक बनाने के लिए कुछ कार्य

करके सक्रिय भूमिका निभाई चाहिए, इसलिए, किसी व्यक्ति को आईपीसी की धारा 306 के तहत दोषी ठहराया जा सके, उक्त अपराध के लिए आरोपित व्यक्ति द्वारा उकसाने के कार्य को अभियोजन पक्ष द्वारा साबित और स्थापित किया जाना चाहिए।

18. मंगत राम बनाम हरियाणा राज्य के मामले में, "जो फिर से पत्नी की अप्राकृतिक मृत्यु का मामला था, माननीय न्यायमूर्ति के. एस. पी. राधाकृष्णन ने खंडपीठ के लिए बोलते हुए निम्नानुसार अपना मत व्यक्त कियाः–

2(2010) 1 एससीसी 707

3(2014) 12 एससीसी 595

"24. हमें उच्च न्यायालय के तर्क को समझना मुश्किल लगता है कि "कोई भी विवेकपूर्ण व्यक्ति तब तक आत्महत्या नहीं कर सकता जब तक कि उसे ऐसा करने के लिएदुष्प्रेरित न किया जाए" एक महिला विभिन्न कारणों से आत्महत्या करने का प्रयास कर सकती है, जैसे कि, अवसाद, वित्तीय कठिनाइयाँ, प्यार में हताशा, घरेलू चिंताएं,गंभीर या पुरानी बीमारियाँ और इसी तरह की अन्य और ऐसा करने के लिए दुष्प्रेरण की आवश्यकता नहीं है। उच्च न्यायालय का यह तर्क कि कोई भी विवेकपूर्ण व्यक्ति तब तक आत्महत्या नहीं करेगा जब तक कि किसी और के द्वारा ऐसा करने के लिए उसे दुष्प्रेरित न किया गया हो, एक विकृत तर्क है।"

19. कानून की उपरोक्त समझ के साथ आगे बढ़ते हुए और वर्तमान मामले में उपरोक्त निर्णयों के अवधारित सिद्धांत(रेसियो) को लागू करते हुए, यह स्पष्ट है कि अपनी मृतक पत्नी की उचित देखभाल करने में अपीलकर्ता की ओर से कोई प्रत्यक्ष कार्य या अवैध चूक नहीं देखी गई है। सबूत यह भी नहीं दर्शाते हैं कि मृतका को लगातार अपने पति से उत्पीड़न का सामना करना पड़ा था। माता–पिता या अभियोजन पक्ष के किसी अन्य गवाह द्वारा इस आशय की कोई भी गवाही नहीं दी गई है। विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय ने अप्राकृतिक मौत पर अनुमान लगाया और बिना किसी साक्ष्य के केवल अनुमान के माध्यम से निष्कर्ष निकाला कि अपीलकर्ता अपनी पत्नी की आत्महत्या के दुष्प्रेरण का दोषी है।

20. ऐसी परिस्थितियों में, हमें यह उद्घोषित करने में कोई संकोच नहीं है कि विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकालने में गलती की है कि मृतक को वैवाहिक घर की परिस्थितियों या माहौल के कारण आत्महत्या करने के लिए प्रेरित किया गया था। यह केवल अनुमान से अधिक कुछ नहीं है जो कि बिना किसी ठोस आधार के है। इसलिए, आईपीसी की धारा 306 के तहत अपीलकर्ता की सजा को बनाए रखने का आधार नहीं हो सकता है।

21. उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुए, हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि आक्षेपित निर्णयों को कानूनी रूप से कायम नहीं रखा जा सकता है। नतीजतन, उच्च न्यायालय और विचारण न्यायालय के आक्षेपित फैसले में हस्तक्षेप करते हुए, आईपीसी की धारा 306 के तहत अपीलकर्ता की दोषसिद्धि को निरस्त किया जाता है। तद्नुसार अपील स्वीकार की जाती है।

अपील की अनुमति दी।

vetted by–
AMIT SINGH–III
CIVIL JUDGE(J.D), NORTH
COURT NO.25, SULTANPUR

Digitally signed by AMIT SINGH
Date: 2023.11.04 12:54:51 IST
Reason: Judgment-Translation
Location: Civil Judge(J.D),North,Court No.25, Sultanpur